प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 09.05.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 09.05.2026 को थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/26 धारा 137(2),115(2) बी0एन0एस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता नवसाद अहमद पुत्र इंसार अली निवासी किठुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 09.05.2026 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, का0 दीपक कुमार, का0 सूरज रावत।

थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल व चोरी की मोटरसाइकिल बेंचने से प्राप्त 1600 रु0 के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियुक्त बब्लू उर्फ मोहम्मद साहिद पुत्र स्व0 लुकमान अंसारी निवासी भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद अन्य मोटरसाइकिल के बेंचने से प्राप्त 1600 रु0 के साथ शमशान घाट, औद्योगिक क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया गया।

बरामद चोरी की मोटरसाइकिल व रुपये के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 360/2026 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
बब्लू उर्फ मोहम्मद साहिद पुत्र स्व0 लुकमान अंसारी निवासी भैंसहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण –
01. 01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (रजि0 नं0 यू0पी0 58 डी 6568)।
02. चोरी की मोटरसाइकिल (रजि0नं0 यू0पी0 58 एन0 0271) के विक्रय से प्राप्त 1600 रु0 नकद।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बरामद मोटरसाइकिल को 20 दिन पूर्व बरदहिया बाजार से चोरी किया था तथा 01 महिना पूर्व शिवाय होटल के सामने से 01 अन्य मोटरसाइकिल चोरी किया था जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति को 5000 रु0 में बेंच दिया था, बरामद 1600 रु0 उसी के बचे हुए पैसे है।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री रामाश्रय यादव, उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 करमचन्द्र चौधरी, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 अनिल कुमार यादव, का0 कृष्णनारायण गौड़, का0 भूपेन्द्र सिंह, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8292 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 8292 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत टडवरियात से कालर द्वारा मोटरसाइकिल व रथ के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.अजय साहनी पुत्र गिरधारीलाल सा0 ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 प्रवेश कुमार मौर्या, हो0गा0 चा0 कृष्णचन्द मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 226 वाहनों से 2,57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 09.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 185 वाहनों से 2,57,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

चोरी की सूचना निकली फर्जी, पुलिस जाँच में हुआ दूध का दूध और पानी का पानी

पुलिस को गुमराह करने वाली चोरी की सूचना निकली झूठी, गहन छानबीन के बाद खुला सच

जनपद संतकबीरनगर के थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मलोरना से प्राप्त चोरी की एक सूचना पुलिस जाँच में पूर्णतः असत्य और निराधार पाई गई है। दिनांक 08.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी प्रीति चौधरी पत्नी रवि चौधरी निवासिनी मलोरना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 07.05.2026 की रात्रि में घर के सदस्य वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे, घर पर केवल वादिनी व उनकी सास ही मौजूद थी जिसका फायदा उठाकर किसी अज्ञात चोर द्वारा घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।

तहरीर प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर मामले की गंभीरता से जाँच शुरू की गई। जाँच और स्थानीय स्तर पर की गई सघन पूछताछ व साक्ष्यों के संकलन के बाद यह तथ्य सामने आया कि चोरी की कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी। वादिनी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि परिजनों के वैवाहिक कार्यक्रम से वापस आने पर घर में चोरी का अंदेशा हुआ था एव कुछ जेवरात कम लगे थे। प्रथम दृष्टया यह मामला भ्रम/गलतफहमी के कारण पुलिस को दी गई एक गलत सूचना है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपील की गई है कि किसी भी घटना की सूचना देने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लें। पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन फर्जी सूचनाओं से न केवल पुलिस का समय बर्बाद होता है, बल्कि वास्तविक पीड़ितों तक सहायता पहुँचने में भी विलंब हो सकता है। पुलिस को गुमराह करने या फर्जी सूचना देकर राजकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।